प्रेषक,

महानिरीक्षक निबन्धन,
उत्तर प्रदेश़, इलाहाबाद।

सेवा में,

समस्त जिला निबंधक,
उत्तर प्रदेश।

परिपत्र सं0 4241-4303/चार-412 दिनांक फरवरी 14 , 1992

विषय- उप निबंधक की अनुपस्थिति में लेखपत्रों के निबन्धन के सम्बन्ध में ।

महोदय,

निबन्धन कार्यालयों के निरीक्षण से यह तथ्य सामने आया है कि बहुधा उप निबंधक की अनुपस्थिति में वरिष्ठ निबन्धन लिपिक जिला निबंधक के आदेश के बिना ही लेखपत्रों का निबन्धन कार्य सम्पन्न करते रहते है। यह स्थिति अत्यन्त आपत्तिजनक एवं अवैधानिक है। लेखपत्रों का निबंधन एक वैधानिक कार्य है, जो रजिस्ट्रीकरण अधिनियम के अन्तर्गत विधिवत नियुक्त किये गये रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों द्वारा ही किया जाना चाहिए। भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 की धारा-12 के अन्तर्गत स्पष्ट प्राविधान है कि उप निबन्धक की अस्थायी अनुपस्थिति में जिला निबंधक जिसे इस प्रयोजन हेतु नियुक्त करेगें, वे ही ऐसी अनुपस्थिति में जब तक रिक्ति भर न दी जाय, उप निबन्धक होगें। स्पष्ट है कि किसी अन्य व्यक्ति द्वारा रजिस्ट्री किये गये ऐसे समस्त लेखपत्र नियम विरूद्ध अवैध एवं अमान्य माने जायेगे। जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इस प्रकार से कार्य करने वाले कर्मचारी का ही होगा।

अतः आपसे अपेक्षा की जाती है कि इस विधिक प्राविधान से अपने अधीनस्थ सभी निबन्धकर्ता अधिकारी / कर्मचारी को अनुपालन हेतु अवगत कराये तथा उप निबंधक की अस्थायी अनुपस्थिति में अविलम्ब वरिष्ठतम योग्य अनुभवी लिपिक को प्रभारी उपनिबंधक के रूप में कार्य करने के आदेश पारित करें। ऐसे प्रत्येक आदेश का रिकार्ड अपने कार्यालय में रक्खें तथा प्रबन्ध की सूचना अविलम्ब मुख्यालय भेजे। कृपया इन निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

भवदीय

ह०/-

आर0के0 कुवर
महानिरीक्षक निबन्धन

उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

संख्या- 4304- 4663/ चार-412 दिनांक फरवरी 14, 1992

1- प्रतिलिपि समस्त उप/ सहायक महानिरीक्षक निबन्धन, उत्तर प्रदेश को इस आशय से प्रेषित कि वे कार्यालयों का निरीक्षण करते समय ऐसी अनियमितताओं से महानिरीक्षक निबन्धन को अवश्य अवगत करायें।

2- प्रतिलिपि समस्त निबंधक, उत्तर प्रदेश को कड़ाई से अनुपालन हेतु इस निर्देश के साथ प्रेषित कि वे अपनी अस्थायी अनुपस्थिति में जिला निबन्धक से प्रभारी उप निबंधक के सम्बन्ध में अवश्य आदेश प्राप्त कर लें।

3- प्रतिलिपि अधिष्ठान सहायक मुख्यालय को अभिलेख हेतु।

ह०/–
आर0के0 कुवर
महानिरीक्षक निबन्धन
उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।